रजिस्ट्री सं. डी. एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 14] नई दिल्ली, जुलाई 1—जुलाई 7, 2012, शनिवार/आषाढ़ 10—आषाढ़ 16, 1934
No. 14] NEW DELHI, JULY 1—JULY 7, 2012, SATURDAY/ASADHA 10—ASADHA 16, 1934

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जून, 2012

का.नि.आ. 48.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और मिलिट्री इंजीनियरी सेवा (खानसामा चौकीदार) भर्ती नियम, 2004 का अधिक्रान्त करते हुए मिलिट्री इंजीनियरी सेवा में खानसामा चौकीदार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय मिलिट्री इंजीनियरी सेवा (खानसामा चौकीदार) भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और ग्रेड वेतनमान.**—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड, ग्रेड वेतन और वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, और अन्य अर्हताएं आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है, और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों को कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
खानसामा चौकीदार	*141 (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग', अराजपत्रित, अनौद्योगिक अननुसचिवीय	वेतन बैंड-1, रु. 5,200—20,200 (ग्रेड वेतन -1900 रु.)	लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच, सरकारी सेवकों के लिए साधारण अभ्यर्थियों की दशा में आयु शिथिल करके 40 वर्ष तक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों के अभ्यर्थियों की दशा में शिथिल करके 45 वर्ष तक की जा सकती है । **टिप्पण -1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अण्दमान और निकोबार द्वीप या लक्षदीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है ।) **टिप्पण-2:** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से अभ्यर्थियों की दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन उत्तीर्ण और किसी मान्यताप्राप्त संस्थान से खाना बनाने/खान-पान में डिप्लोमा ।	लागू नहीं होता	दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां, जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
शत प्रतिशत (100%) सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
कमाण्डर संकर्म इंजीनियर स्तर पर समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—		लागू नहीं होता ।
1. कमाण्डर संकर्म इंजीनियर या उसका नामनिदेशिति जो कार्यकारी इंजीनियर की पंक्ति से कम का न हो	—अध्यक्ष	
2. सहायक कार्यकारी इंजीनियर/सहायक इंजीनियर/ बैरक भण्डार अधिकारी या समतुल्य	—सदस्य	
3. केन्द्रीय सरकार के किसी अन्य मंत्रालय/विभाग से एक समूह 'क' अधिकारी	—सदस्य	

[सं. पी.सी.-75002/भर्ती नियम/खानसामा चौकीदार/सी.एस.सी.सी./351/र.(नि.)]

के. के. दैमारी, अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 27th June, 2012

S.R.O. 48.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Military Engineer Services (Khansama Chowkidar) Recruitment Rules, 2004, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Khansama Chowkidar in Military Engineer Service, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Military Engineer Services (Khansama Chowkidar) Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, pay band, grade pay and pay scale.—The number of the said posts, their classification, pay band, grade pay and pay scale attached thereto shall be as specified in Column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of Recruitment, age limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in column (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who have entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,
shall be eligible for appointment to any said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Schedules Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Khansama Chowkidar	141*(2012) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-gazetted, Non-Industrial, Non Ministerial.	Pay Band-1, Rs. 5,200—20,200+ (Grade Pay Rs. 1900)	Not applicable	Between 18 and 27 years. Relaxable for Government servants up to the age of 40 years in case of general candidates and up to 45 years in case of candidates belonging to the Scheduled Casts and the Scheduled Tribes. **Note 1**: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi sub-division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). **Note 2**: The crucial date for determining the age limit in case of candidates from Employment Exchange shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
Matriculation pass or equivalent from a recognized board and diploma in cooking/catering from any recognized institution.	Not applicable	Two years

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion/deputation/absorption to be made
(10)	(11)
100% by direct recruitment	Not applicable

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee at Commander Works Engineer level (for confirmation) consisting of :— 1. Commander Works Engineer or his nominees not below the rank of Executive Engineer —Chairman 2. Assistant Executive Engineer/Assistant Engineer/Barrack Stores Officer or equivalent —Member 3. A Group 'A' Officer from any Ministry/Department of the Central Government —Member	Not applicable.

[No. PC-B/75002/RR/Khansama Chowkidar/CSCC/351/D(Apptts.)]

K. K. DAIMARY, Under Secy.

नई दिल्ली, 26 जून, 2012

का.नि.आ. 49.—केन्द्रीय सरकार, राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 के नियम 10 के उप-नियम (4) के अनुसरण में रक्षा संपदा महानिदेशालय के निम्नलिखित कार्यालय को, जिसके 80% से अधिक कर्मचारी-वृंद ने हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर लिया है, अधिसूचित करती है :—

छावनी परिषद

जम्मू-180 003

[सं. 1(1)/2011-रक्षा (रा.भा.-1)]

उपमन्यु चटर्जी, संयुक्त सचिव

New Delhi, the 26th June, 2012

S.R.O. 49.—In pursuance of Sub-Rule (4) of the Rule 10 of the Official Languages (Use for official purposes of the Union) Rules, 1976, the Central Government hereby notifies the following office of Directorate of Defence Estates, more than 80% staff whereof have acquired working knowledge of Hindi :—

Cantonment Board

Jammu- 180 003

[No. 1(1)/2011-D(OL-1)]

UPAMANYU CHATTERJEE, Jt. Secy.

2274 GI/12 -2

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.